ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्व नगर, उ0प्र0।

पत्रांकः–ग्रे.नो. / आई0टी0 / 2020 / 17390
दिनांक 28/2/ 2020

कार्यालय–आदेश

ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 10.02.2020 के मद संख्या–117 / 15 में मा0 संचालक मण्डल द्वारा सूचना प्रौधोगिकी योजनान्तर्गत आवंटनों में परियोजना कियान्वयन हेतु सशुल्क समय विस्तरण विषयक प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदित किया गया हैः–

क) मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन

1. ऐसे आवंटी / ईकाई, जिनके द्वारा प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 04.12.2018 के अनुपालन में निर्धारित समयावधि 31.03.2019 के पश्चात दिनांक 30.04.2019 तक मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है उन आवंटी / ईकाई को दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.04.2019 तक मानचित्र स्वीकृति हेतु समयावधि निःशुल्क अनुमन्य की जाती है।

2. ऐसे आवंटी / ईकाई जिनके द्वारा दिनांक 01.05.2019 से 31.12.2019 तक मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, ऐसे आवंटियों को वर्तमान प्रचलित आवंटन दर की 01 प्रतिशत धनराशि मानचित्र स्वीकृति बिलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त प्राधिकरण के पक्ष में जमा करायी जानी होगी।

3. ऐसे आवंटी / ईकाई, जो दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन करते है, ऐसे आवंटी / ईकाई को वर्तमान प्रचलित आवंटन दर की 03 प्रतिशत धनराशि मानचित्र स्वीकृति बिलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त प्राधिकरण के पक्ष में जमा करानी होगी।

उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 से बिन्दु संख्या–3 पर उल्लिखित श्रेणी में आने वाले आवंटी / ईकाई को दिनांक 31.03.2020 तक ही मानचित्र स्वीकृति आवेदन करने हेतु समयावधि अनुमन्य होगी। इन श्रेणी में आने वाले आवंटन / ईकाईयों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन न करने पर आवंटन निरस्त कर दिये जायेगें। उपरोक्त मानचित्र आवेदन के समय विस्तरण हेतु अनुमति तभी प्रदान की जायेगी जब आवंटी / ईकाई द्वारा उन्हे आवंटित भूखण्डों के सापेक्ष समस्त देयता प्राधिकरण के पक्ष में जमा कर दी जाएगी।

ख) परियोजना कियान्वयन हेतु समय विस्तरण

यदि किसी आवंटन में प्रथम चरण के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी है तो ऐसे आवंटी / ईकाई को परियोजना के प्रथम चरण हेतु दिनांक 31.03.2021 तक का समय विस्तरण, द्वितीय चरण हेतु निर्धारित समय विस्तरण शुल्क के साथ लिया जायेगा अर्थात कुल प्रीमियम का कमशः 04 प्रतिशत, 06 प्रतिशत, 08 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं तत्पश्चात कुल प्रीमियम का 01 प्रतिशत प्रतिमाह सशुल्क समय विस्तरण प्रदान किया जायेगा। जो आवंटी / ईकाई परियोजना के प्रथम चरण को दिनांक 31.03.2021 तक पूर्ण नही करेगें, उन ईकाईयों / आवंटनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त अनुमन्य अवधि में आवंटियों / ईकाईयों द्वारा आवंटन एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों के अनुसार रू0 4.00 करोड प्रति एकड तथा लीजडीड के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित निवेश तथा नियोजन विभाग से अनुमोदित मानचित्रानुसार अनुमन्य एफ0ए0आर0 का 40 प्रतिशत निर्माण कार्य प्रथम चरण में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण/सम्पूर्ण परियोजना हेतु समयावधि 31.03.2022 तक अनुमन्य होगी। इस हेतु आवंटी कम्पनी को कुल प्रीमियम का 04 प्रतिशत, 06 प्रतिशत, 08 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं तत्पश्चात कुल प्रीमियम का 01 प्रतिशत प्रतिमाह सशुल्क समय विस्तरण प्रदान किया जायेगा। जो आवंटी/ईकाई दिनांक 31.03.2022 तक द्वितीय/सम्पूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण नही करेगी, उन ईकाईयों/आवंटनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त अनुमन्य अवधि में आवंटियों/ईकाईयों द्वारा आवंटन एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों के अनुसार रू0 4.00 करोड प्रति एकड तथा लीजडीड के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित निवेश तथा नियोजन विभाग से अनुमोदित मानचित्रानुसार सम्पूर्ण अनुमन्य एफ0ए0आर0 पर निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावीं होगें।

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित/परियोजना/आई0टी0), ग्रेटर नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी(नियोजन), ग्रेटर नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रबन्धक(सिस्टम/मार्केटिंग)को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/02/2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी